<u>न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर –01, फतेहपुर।</u>

उपस्थितः राम किशोर–III ..... एच०जे०एस०

जे०ओ० कोड–UP6055

प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–956 सन् 2026

UPFT010024822026

प्रत्यूष पटेल उर्फ प्रत्यूष सिंह पटेल उम्र लगभग 19 वर्ष पुत्र श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह निवासी– ग्राम फरीदपुर, थाना बिन्दकी, जिला फतेहपुर।

.....आवेदक/अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोजक

मुकदमा अपराध संख्या–152 सन् 2026
धारा–3, 4, 5 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम
<u>थाना–बिन्दकी, जिला फतेहपुर।</u>

<u>08.06.2026</u>

आवेदक/अभियुक्त प्रत्यूष पटेल उर्फ प्रत्यूष सिंह पटेल की ओर से यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या 152/2022, अन्तर्गत धारा 3, 4, 5 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, थाना बिन्दकी, जनपद फतेहपुर के मामले में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त/आवेदक द्वारा अपने जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अभियोजन कथानक के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 11.05.2026 को प्रगति यादव क्षेत्राधिकारी अपराध जनपद फतेहपुर मय हमराह का० प्रमोद यादव मय सरकारी वाहन सं0 UP32FG4634 मय चालक का० विपिन यादव के मय निरीक्षक श्री गिरेन्द्र पाल सिंह प्रभारी थाना AHT मय हमराही का० आलोक यादव, म0का0 सोनम, म0का0 सरिता भारती थाना AHT जनपद फतेहपुर के जनपद के होटल ढाबो व प्रतिष्ठानो की चेकिंग, रोकथाम जुर्म जरायम व देखभाल क्षेत्र जनपद फतेहपुर में मामूर थी कि जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि कस्वा बिन्दकी के रुदा होटल जो खजुहा रोड पर स्थित है उसके अन्दर काफी दिनो से लुक छिप कर अवैध देह व्यापार का संचालन किया जा रहा है। इस सूचना पर विश्वास करके AHT प्रभारी उपरोक्त मय हमराही कर्म० गण को सूचना से अवगत कराते हुए प्रभारी निरीक्षक बिन्दकी को मौके पर पहुंचने के लिए निर्देशित करते हुए रुदा होटल खजुहा रोड कस्बा विन्दकी समय करीब 22.30 बजे पहुंची, तब तक प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह मय हमराह का० अरबिन्द सिंह, रि०का० सौरभ मौर्या, रि०का० शुभम शर्मा मय आरक्षी अस्थायी चालक तपेन्द्र बघेल मय सरकारी वाहन UP70AG2827 के मौके पर उपस्थित आ गये, उनको भी सूचना से अवगत कराते हुए जनता के गवाहन को फराहन करने की कोशिश की गयी तो नावक्त होने के कारण जनता का कोई गवाह उपलब्ध नही मिल पाया तो आने जाने वाले राहगीरो को रोककर उनसे गवाही हेतु कहा गया तो भलाई बुराई की वजह से वह अपना बिना नाम पता बताये चले गये तत्पश्चात वागरज तलाशी एक बारगी रुद्रा होटल में दबिश डालकर सर्च किया गया तो रुम न0 103 में एक महिला, एक लडकी व तीन लडके संदिग्ध अवस्था अवस्था पाये गये जिनका नाम पता पूछा गया तो महिला ने अपना नाम बबली यादव उम्र करीब

Digitally signed by RAM KISHOR
Date: 2026.06.08 11:05:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

48 वर्ष पत्नी जगदीश यादव निवासिनी म0न0 734 नयापुरवा थाना किदवई नगर जिला कानपुर नगर व मूल पता ग्राम खदरा थाना औंग जनपद फतेहपुर व लडकी ने अपना नाम अनम उम्र करीब 23 वर्ष पत्नी स्व0 आलम निवासिनी म0न0 151 मछरिया थाना नौबस्ता जिला कानपुर नगर व पकडे गये लडके ने अपना नाम प्रत्यूस पटेल उम्र करीब 19 वर्ष पुत्र राजेन्द्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम फरीदपुर थाना बिन्दकी जनपद पतेहपुर, ऋषि पाल सिंह उम्र 42 वर्ष पुत्र स्व० गोविन्द सिंह निवासी खाडेपुर थाना हनुमंत बिहार जिला कानपुर नगर, राहुल द्विवेदी उम्र करीब 22 वर्ष पुत्र रावेन्द्र कुमार द्विवेदी निवासी सातीखेडा थाना सरैनी जनपद रायबरेली बताया तथा कमरा न0 105 को सर्च किया गया तो एक महिला व एक पुरुष आपत्ति जनक स्थिति में पाये गये जिन्हे स्त्री के परदा को ध्यान में रखते हुए उनको वस्त्र पहनाकर बाहर निकाल कर उनका नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी लिया गया तो महिला नेहा प्रजापति उम्र करीब 22 वर्ष पत्नी मो0 सलमान निवासिनी मंगला बिहार पुलिया थाना चकेरी कानपुर नगर व हाल पता किराये का मकान काजल किन्नर का घर मछरिया चौराहा थाना नौबस्ता जनपद कानपुर नगर व पुरुष ने अपना नाम नितिन पटेल उम्र करीब 30 वर्ष पुत्र रामप्रसाद पटेल निवासी ग्राम उसराहखेडा थाना बकेवर जनपद फतेहपुर बताया जिनकी जामा तलाशी से महिला नेहा उपरोक्त के पास एक अदद मोवाइल ओप्पो कम्पनी का व 600 /– रु0 नकद बरामद हुआ मोबाइल के सम्वन्ध में पूछने पर वह अपनी खुद की मोबाइल का होना बताया तथा बरामद रुपये के बारे में बताया कि साहब यह पैसा होटल मैनेजर की तरफ से ग्राहको की सेवा करने के बदले में हमको प्राप्त हुआ है अभी इस ग्राहक को जिसको मै संतुष्ट कर रही थी इसका पैसा नही मिला है तब तक आप लोगो ने पकड लिया। देह व्यापार के धन्धे के सम्बन्ध में पूर्ण विश्वास होने पर कडाई से पूछताछ किया गया तो नेहा उपरोक्त ने बताया कि हम लोग आर्थिक रुप से काफी गरीब परिवार से सम्बन्धित है। मजबूरी में अपना पेट परदा चलाने के लिए बबली यादव आटी के कहने पर हम लोग इस धंधे में काम करते है। हम लोगो की सेटिंग होटल मैनेजर के माध्यम से बबली यादव कराती है। मेरे अलावा अनम और भी कई लडकियां बबली आंटी के माध्यम से होटलो में ग्राहको को उपलब्ध करायी जाती है। हम लोगो को इस काम को करने के लिये प्रति व्यक्ति के हिसाब से हमे 500/– रु0 मिलता है तथा प्रति व्यक्ति बबली यादव को 300/– रु0 मिलता है। हम लोग एक रात्रि में कम से एक या दो व्यक्तियो के साथ सम्बन्ध बनाते है। इस तरह से हम लोग जीवन यापन करते है। आज भी हम लोग बबली यादव के कहने पर ही आये थे। हम लोगो के पास इस कार्य के अलावा जीवन यापन करने का अन्य कोई साधन उपलब्ध नही है मेरे पास से जो भी पैसे बरामद हुए है वह इसी धन्धे की कमाई है हम लोगो की सेटिंग बबली यादव आंटी व होटल के संचालक विकाश भदौरिया व अभिषेक मिश्रा के माध्यम से बुकिंग करायी जाती है तथा होटल की आड में देह व्यापार का धन्धा कराया जाता है तथा प्रत्यूष पटेल मौके पर हम लोगो को कमरा और ग्राहक उपलब्ध कराता है और सबको होटल मालिक के माध्यम से उनका हिस्सा दे दिया जाता है एवं नितिन पटेल उपरोक्त की जामा तलाशी से अदद मोबाइल व 2090/–रु0 नगद बरामद हुए तत्पश्चात पक़डी गयी महिला बबली यादव उपरोक्त की जामा तलाशी से एक अदद वीवो कम्पनी का मोवाइल व 1210/–रु० नगद व दस अदद प्रोटेक्शन (निरोध) बरामद हुआ, कडाई से पूछताछ किया गया तो उसने गलती की माफी मागते हुए बताया कि मेरे पति दिहाड़ी मजदूरी का काम करते है। इस महगाई के जमाने में घर का खर्च चलाना मुश्किल था तो होटल संचालक विकास भदौरिया के कहने पर मेरे द्वारा होटल में लडकियों की सप्लाई की जाती है। इस काम के लिए लडकियो के खर्चे के अलावा मुझे प्रतिव्यक्ति के हिसाब से 300/–रु0 मिलते है इस कार्य से मेरी अच्छी कमाई हो जाती है तथा इसी खर्च से मेरे परिवार का जीवन यापन होता है। पकडे गये व्यक्ति प्रत्यूष पटेल उपरोक्त की जामा तलाशी से एक अदद मोबाइल ओप्पो कम्पनी का व 4440/–रु0 नगद बरामद हुआ, कडाई से पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि साहब रुदा होटल श्री जय सिंह निवासी रज़ीपुर बिन्दकी का मकान है जिसमें विकास भदौरिया निवासी दादन खेडा थाना कल्यानपुर जनपद जनपद फतेहपुर व अभिषेक मिश्रा निवासी तेन्दुली थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर द्वारा पार्टनरशिप में किराये पर लेकर चलाया जाता है। होटल में ग्राहको को लडकी उपलब्ध कराये जाने के बदले में होटल के संचालक द्वारा अच्छे पैसे लिये जाते है तथा सभी व्यक्तियो को उनके हिसाब से संचालक द्वारा पैसे दिये जाते है। ऋपि

पाल उपरोक्त की जामा तलाशी से एक अदद मोवाइल रियलमी कम्पनी का व 240/–रु0 बरामद हुआ तथा राहुल द्विवेदी उपरोक्त की जामा तलाशी से एक अदद मोबाइल सैमसंग कम्पनी व 120/–रु0 वरामद हुआ। पूछताछ से यह तथ्य प्रकाश में आया कि होटल संचालक विकास भदोरिया व अभिषेक मिश्रा तथा प्रत्यूप पटेल व श्रीमती बबली यादव उपरोक्त द्वारा अवैध रूप से देह व्यापार के धन्धे में संलिप्त होकर इसका संचालन किया जा रहा है जिनका यह कार्य अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 धारा 3/4/5 के तहत दण्डनीय अपराध होने के कारण उनको उनके जुर्म व जमानत के अधिकार से अवगत कराते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिये गये दिशा निर्देशो का अनुपालन करते हुए समय करीब 01.10 बजे दिनांक 12.05.2026 को जेर हिरासत पुलिस में लिया गया तथा पकडी गयी महिला नेहा व अनम उपरोक्त परस्थिति वश इस अपराध की स्वतः ही पीडिता है साथ ही साथ पकडे गये पुरुष ऋषि पाल, राहुल द्विवेदी, नितिन पटेल जो कि बालिग है जिन्हे उनके परिजनो को बुलाकर बाद तामीला नोटिस नियमानुसार सुपुर्द किया गया तथा फर्द मौके पर मेरे द्वारा बोल बोल कर का0 अरबिन्द सिंह से फोन पर टाइप कराकर उसकी प्रिंट हमराही का0 अरविन्द सिंह को थाना बिन्दकी भेजकर प्रिंट आउट निकलवा कर सम्बन्धित के अलामात बनवाए गए। बरामदशुदा कुल 02 अदद मोवाइल व 10 अदद प्रोटेक्शन (निरोध) व 5650/– रु0 अभियुक्त वार सफेद कागज में रखकर तथा एक पारदर्शी प्लास्टिक के डिब्बे में रखकर सेलोटेप के माध्यम से सील कर सर्व मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया।

उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय में आवेदक/अभियुक्त प्रत्यूष पटेल व अन्य अभियुक्तगण बबली यादव, अभिषेक मिश्रा व विकास भदौरिया के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या–152 सन् 2026 अन्तर्गत धारा–3,4,5 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 पंजीकृत किया गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क रखा गया है कि आवेदक/अभियुक्त बी०ए०तृतीय वर्ष का छात्र है। जिसका पूर्व मे कोई आपराधिक इतिहास नही रहा है। जिसे वर्तमान मामले मे पुलिस द्वारा सोची–समझी साजिश और दुर्भावना के तहत झूठा फंसाया गया है। पुलिस के अपने दस्तावेजो के अनुसार घटनास्थल रूद्धा होटल खजुहा रोड थाना बिन्दकी से पुलिस स्टेशन की दूरी मात्र चार किलो मीटर है, इसके बावजूद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने मे लगभग 6 घण्टे 43 मिनट अधिक अकारण देरी की गयी है। जिसका पुलिस की ओर से कोई स्पष्टीकरण नही प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 12.05.2026 को रात मे लगभग 10.30 बजे अचानक पुलिस ने होटल मे प्रवेश किया, तब आवेदक/अभियुक्त रिसेप्सेशन के पास अपने सफाई कार्य को पूर्ण करके बैठा हुआ था। आवेदक/अभियुक्त न तो रूद्धा होटल का मालिक है, न ही वह उस होटल का मैनेजर या संचालक है और न ही वह उस होटल की सम्पत्ति का कोई किरायेदार या पट्टे दार है जिससे उस पर कोई भी मालिकाना दायित्व सौपा जा सके। दिहाड़ी मजदूर और साफ–सफाई करने वाला लड़का होने के नाते, आवेदक/अभियुक्त को होटल के बंद कमरों के अंदर चल रही किसी भी कथित अनैतिक देह व्यापार या वेश्यावृत्ति की गुप्त गतिविधि की कोई भी जानकारी होना असंभव था। उक्त घटना में पकड़ी गई महिलाओं द्वारा अपने कथन/बयान में आवेदक/अभियुक्त का उक्त घटना से किसी भी प्रकार का संबंध होना नहीं बताया है क्योंकि आवेदक/अभियुक्त उक्त प्रकार की गतिविधि से पूर्णतया अनभिज था और वह नहीं जानता था कि यहां किस प्रकार का कृत्य होता रहता है। महिलाओं ने अपने बयान में यह भी साफ तौर पर कुबूल किया है कि बबली यादव, मुख्य होटल संचालक विकास भदौरिया और अभिषेक मिश्रा के माध्यम से ही सीधे बुकिंग की जाती थी और इस अवैध व्यापार का सारा मोटा पैसा इन्हीं मुख्य संचालकों और बबली यादव के बीच बंटता था। पुलिस ने अपनी नाकामी छुपाने, असली रसूखदार संचालकों को बचाने और एक झूठा केस तैयार करने के लिए दुर्भावनापूर्ण तरीके से इस 19 वर्षीय छात्र आवेदक पर यह झूठा आरोप मढ़ दिया कि वह ग्राहकों को कमरे उपलब्ध कराता था, जबकि किसी भी होटल में कमरे आवंटित करने या रजिस्टर में एंट्री करने का अधिकार केवल रिसेप्शनिस्ट या मैनेजर के पास होता है, रूम बॉय के पास बिल्कुल नहीं।आवेदक मात्र एक सामान्य रूम बॉय था, जिसकी ड्यूटी केवल और केवल कमरों की साफ–सफाई करना और मैनेजर के आदेशानुसार ग्राहकों

को सेवाएं देना था ग्राहकों की बुकिंग, पैसों के लेन–देन या किसी भी प्रकार की वेश्यावृत्ति कराने से उसका रत्ती भर भी कोई लेना–देना नहीं था। मामले को संगीन बनाने के लिए एफआईआर में पुलिस ने यह एक सर्वथा झूठी और मनगढ़ंत कहानी गढ़ी है कि मौके पर आवेदक की जामा तलाशी लेने से उसके पास से 4440/– रुपये नकद और ओप्पो कंपनी का एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। आवेदक के पास से जो 4440/– रुपये बरामद दिखाए गए हैं, वह किसी भी अनैतिक कार्य या देह व्यापार की कमाई का हिस्सा कतई नहीं है, बल्कि वह उसका अपना वैध वेतन, उसकी अपनी खून–पसीने की मेहनत की कमाई और उसके गंभीर रूप से बीमार माता–पिता की दवाइयों के लिए पाई–पाई जोड़कर इकट्ठा किए गए पैसे थे, जिन्हें पुलिस ने दुर्भावनावश अवैध घोषित कर दिया। पुलिस द्वारा की गई यह कथित नकद रिकवरी और जब्ती पूरी तरह से मनगढ़ंत, झूठी, निराधार और पुलिस द्वारा स्वयं प्लांटेड की गई है, जिसका एकमात्र उद्देश्य केवल और केवल कागजों पर इस झूठे मामले को अत्यंत संगीन और विश्वसनीय बनाना है। अतः आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये।

जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की बहस सुना तथा केस डायरी आदि अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने जमानत का घोर विरोध करते हुए यह तर्क रखा है कि आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। विवेचना के दौरान आवेदक/अभियुक्त व अन्य सहअभियुक्तगण की उक्त अपराध में संलिप्तता के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। आवेदक/अभियुक्त अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने योग्य नहीं है।

चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट मे नामजद अभियुक्त है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार रूद्रा होटल बिन्दकी फतेहपुर में एक महिला व एक पुरुष आपत्ति जनक स्थिति में पाये गये जिन्हे स्त्री के परदा को ध्यान में रखते हुए उनको वस्त्र पहनाकर बाहर निकाल कर उनका नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी लिया गया तो महिला नेहा प्रजापति की जामा तलाशी से एक अदद मोवाइल ओप्पो कम्पनी का व 600 /– रु0 नकद बरामद हुआ मोबाइल के सम्वन्ध में पूछने पर वह अपनी खुद की मोबाइल का होना बताया तथा बरामद रुपये के बारे में बताया कि साहब यह पैसा होटल मैनेजर की तरफ से ग्राहको की सेवा करने के बदले में हमको प्राप्त हुआ है अभी इस ग्राहक को जिसको मै संतुष्ट कर रही थी इसका पैसा नही मिला है तब तक आप लोगो ने पकड लिया। देह व्यापार के धन्धे के सम्बन्ध में पूर्ण विश्वास होने पर कडाई से पूछताछ किया गया तो नेहा उपरोक्त ने बताया कि हम लोग आर्थिक रुप से काफी गरीब परिवार से सम्बन्धित है। हम लोगो की सेटिंग होटल मैनेजर के माध्यम से बबली यादव कराती है। मेरे अलावा अन्य और भी कई लडकियां बबली आटी के माध्यम से होटलो में ग्राहको को उपलब्ध करायी जाती है। आज भी हम लोग बबली यादव के कहने पर ही आये थे। हम लोगो की सेटिंग बबली यादव आंटी व होटल के संचालक विकाश भदौरिया व अभिषेक मिश्रा के माध्यम से बुकिंग करायी जाती है तथा होटल की आड में देह व्यापार का धन्धा कराया जाता है तथा प्रत्यूष पटेल मौके पर हम लोगो को कमरा और ग्राहक उपलब्ध कराता है और सबको होटल मालिक के माध्यम से उनका हिस्सा दे दिया जाता है। पकडे गये अभियुक्त प्रत्यूष पटेल उपरोक्त की जामा तलाशी से एक अदद मोबाइल ओप्पो कम्पनी का व 4440/–रु0 नगद बरामद हुआ, कडाई से पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि साहब रुदा होटल श्री जय सिंह निवासी रज्जीपुर बिन्दकी का मकान है जिसमें विकास भदौरिया निवासी दादन खेडा थाना कल्यानपुर जनपद जनपद फतेहपुर व अभिषेक मिश्रा निवासी तेन्दुली थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर द्वारा पार्टनरशिप में किराये पर लेकर चलाया जाता है। होटल में ग्राहको को लडकी उपलब्ध कराये जाने के बदले में होटल के संचालक द्वारा अच्छे पैसे लिये जाते है तथा सभी व्यक्तियों को उनके हिसाब से संचालक द्वारा पैसे दिये जाते है।

केस डायरी के अवलोकन से विदित है कि परिस्थितिजन्य साक्षी नेहा प्रजापति ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 बी.एन.एस.एस. में यह कहा है कि बचपन से मैं कानपुर में रही हूँ। कानपुर में

नौबस्ता चौराहे के पास मेरा घर था जहां आज भी मेरी मम्मी और छोटी बहन रहती है। सन् 2022 में मैनें सलमान के साथ प्रेम विवाह कर लिया तब से उसी के साथ कानपुर में ही किराए पर कमरा लेकर रहती थी। सलमान दिहाड़ी मजदूरी करता है जिसकी कमाई से रूम किराया और खान खर्चा भी पूरा नही हो पाता था। आज से पांच छः महीने पहले मेरा सम्पर्क बबली आंटी से हुआ जो किदवई नगर कानपुर में रहती थी। बबली आंटी ने मुझसे कहा कि यदि तुम मेरे साथ काम पर चलो तो मैं तुम्हे पर नाइट हजार दो हजार रूपये दिला सकती हूँ। आर्थिक तंगी से अत्यधिक परेशान होने के कारण मैने उनकी बात मान ली और उनके साथ रूदा होटल बिन्दकी गयी तो बबली आंटी वहां पर मुझे होटल के मैनेजर विकास भदौरिया व अभिषेक मिश्रा व होटल के कर्मचारी प्रत्यूष पटेल से मिलवायी। फिर बबली आंटी उनसे कुछ पैसे ली जिसमें से 1000 रूपये मुझे भी दिया। फिर बोली कि जब होटल में काम रहेगा तब तुम्हे बुला लिया जाएगा और मुझे घर वापस भेज दी। उसके बाद बबली आंटी जब भी मुझे बुलाती में पैसो की लालच में रुद्रा होटल बिन्दकी चली जाती थी। होटल मैनेजर विकास भदौरिया व अभिषेक मिश्रा कस्टमर से मोटी रकम लेकर हमारी बुकिंग करते थे और होटल का कर्मचारी प्रत्यूष पटेल हमें कमरा व ग्राहक उपलब्ध कराता था और बबली आंटी हमें साज सज्ञा के लिए क्रीम, परफ्यूम व प्रोटेक्शन के लिए कण्डोम इत्यादि उपलब्ध कराती थी। प्रति ग्राहक मुझे 500/ रूपये तथा बबली आंटी को हमारी सेटिंग कराने के प्रति व्यक्ति लिए 300/ रूपये रूपए मिलते थे। रात भर में एक, दो, तीन, चार जितने भी ग्राहक आ जाते थे पैसो की लालच में हम उन्हे सन्तुष्ट करते थे। हमें पैसा होटल मालिक व मैनेजर के माध्यम से मिलता था। मेरे अलावा और भी कई लडकियां रुद्रा होटल में यही काम करती थी। मैं सबका नाम पता नही जानती हूँ किन्तु एक लड़की अनम जो मेरी फ्रेण्ड है वह भी मेरे साथ इसी काम के लिए रुद्रा होटल आती थी। अनम भी बहुत गरीब है और उसका पति भी मर गया है इसलिए मजबूरीवश यह काम करती थी। दिनांक 12.05.2026 को बबली आंटी के कहने पर मैं और अनम रूद्रा होटल गयी थी तभी पुलिस की टीम होटल में छापा मारकर हमें पकड़ लिया। महिला पुलिस अधिकारी को जब हम अपनी मजबूरी बताए तो वह हमें ऐसा काम दोबारा न करने की बात समझाकर छोड़ दी तब मैं अपने पति के साथ वापस कानपुर आ गयी। अब मैं और मेरे पति दोनो मिलकर मोतीझील चौराहे पर चाय सैण्डविच बेचते है और जो कमाई होती है उसी से जीवन यापन कर रहे है। प्रश्नः दिनांक 12.05.2026 को रूदा होटल के रूम नम्बर 105 में तुम जिस व्यक्ति के साथ पकड़ी गयी थी उसका क्या नाम था और वह कहां का रहने वाला था उत्तरः मैम जी कस्टमर था उसके लिए मेरी बुकिंग होटल मैनेजर किए थे और होटल का कर्मचारी प्रत्यूष पटेल हमारी मीटिंग कराया था। इसी प्रकार अनम उर्फ मंशा ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 बी.एन.एस.एस. में यह कहा है कि होटल का कर्मचारी प्रत्यूष पटेल हमें कमरा व ग्राहक उपलब्ध कराता था। आवेदक द्वारा उक्त अपराध मे लिप्त होने का प्रथम दृष्टया साक्ष्य केस डायरी पर उपलब्ध हैं तथा आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, केस की गम्भीरता, अपराध कारित करने में आवेदक/अभियुक्त की संलिप्तता/भूमिका, दण्ड की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त विवेचन की पृष्ठभूमि में, मामले के गुण–दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत उक्त जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकृत किये जाने का पर्याप्त, संतोषजनक व युक्तियुक्त आधार मौजूद नहीं है। तदनुसार अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त प्रत्यूष पटेल उर्फ प्रत्यूष सिंह पटेल की ओर से प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–956/2026 निरस्त किया जाता है।

दिनाँक 08.06.2026

(राम किशोर–III)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–1, फतेहपुर।